तारीख हुक्म	
	बहस सुनी गई। अन्तिम निर्णय दिनांक 18/11/2025 को पेश हो।
	सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला चित्तौड़गढ़
18/11/2025	फाईल उपस्थित पेश। रुलिंग में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा मौजा सुरपुर प० ह० सुरपुर तहसील कपासन की आ०स० 432, 433, 434, 451, 452 कुल किता 05 कुल रकबा 0.47 हेक्टर स्थित है। उक्त आराजियात प्रार्थी के पिता इन्द्रमल व इन्द्रमल के भाई प्यारचन्द व सुवालाल के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसके स्वामित्व आ०स० 375, 376/1, 376/3 थे। जो कि कालूराम जी से प्राप्त हुई थी। उक्त अतिरिक्त भी तीनों भाईयों के नामलाती आराजियात थी। जिसकी आपसी सहमति स्वामित्व से तीनों भाईयों ने बंटवारा कर लिया था। जिसमें प्रार्थना पत्र वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के पिता के हिस्से में रही। कालूराम जी के पुत्र प्रार्थी के पिता इन्द्रमल, प्यारचन्द व सुवालाल जी फौत हो गये है जिसके प्रार्थी व अप्रार्थीगण वारिसान के नाम अंकित हुई है। उक्त आराजियात में इन्द्रमल के अतिरिक्त किसी का हिस्सा नहीं है मौखिक किये गये बंटवारे अनुसार उक्त आराजियात इन्द्रमल जी के नाम दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 10.7.1987 को करजियाने भू-प्रबन्ध अधिकारी पार्टी प्रथम उदयपुर के यहां कब्जा अभिलेख सुरपुर के मारफत पेश किये गये। जिस पर विभाग द्वारा उक्त भूमि इन्द्रमल की होना स्वीकार किया। परन्तु वर्तमान में उक्त आराजियात हाल प्यारचन्द के नाम दर्ज रह जाने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हो गयी। जिसका हक कब्जा मालिकाना उक्त आराजियात में नहीं है। उनका नाम अंकित रह जाने से उक्त आराजियात दुरुस्त करने पर आमादा है। व प्रार्थीगण का कब्जा हटाने

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

FORM No. III

App-A
Crm-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______________________ मुकाम ______________________

रामचन्द्र बनाम हिरालाल

किस्म मुकदमा ______________________ नं. ३६ सन् २०२४

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	की चर्चा कर विवाद कर रहे है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 को विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा रोका जाना जरूरी है इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजियात संयुक्त खातेदारी की है एवं सुविधानुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग कर रहे है। साथ ही भू-प्रबन्ध अधिकारी प्रथम उदयपुर के यहां पूर्व में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही चलने की जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है एवं न ही इन अप्रार्थीगण के पिता द्वारा कोई सहमति दी गई है। कानूनन भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा सक्षम न्यायालय की डिक्री आदेश के बिना राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है साथ ही भू-प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के यहां चली कार्यवाही को भी निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 25/3/88 को इस जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज की नकलों से साबित है। उक्त आदेश के खिलाफ प्रार्थी द्वारा कोई अपील, निगरानी आदि नहीं की गई। एवं न ही न्यायालय आज में सन् 88 के बाद इतने लम्बे समय तक वाद प्रस्तुत न करने का कोई कारण भी दर्शित नहीं किया है। इस कारण प्रार्थी कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। व अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिस पर हम अपने हिस्से पर काबिज है व उपभोग उपयोग कर रहे है। इस कारण प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने	

सहायक कलेक्टर
[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में जो
	या अधिकारी नहीं है। व अन्त में प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया। बहस अप्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। व साथ वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2006(2) RRT 1410, 2013(2) RRT 1108 2016-17(SUPP.) RRT 637 प्रस्तुत किये गये। व निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। पूर्व में वादपत्र अनुसार इन्द्रमल, प्यारचन्द व जुगलाल द्वारा सहमति विभाजन जोता मौके पर कब्जा नहीं है। स्पष्ट है उक्त तीनों की कोई हो चुके हैं। व समस्त आराजियात पर संयुक्त कब्जा है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। इनके की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रार्थना पत्र के मुख्य न्याय निर्णयन हेतु तीनों तथ्यों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का अवलोकन मनन करने पर प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। संयुक्त खातेदारी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र सिद्ध करने में असमर्थ रहे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली मूल कार्यवाही हेतु नम्बर से दर्ज हो। आदेश सुनाया गया। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौडगढ	